

4. *आक्षेप / *हटाए जाने के लिए कारण :

5. घोषणा :

मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य और विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

स्थान :

तारीख : आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

टिप्पण - जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दण्डनीय है।

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

की गई कार्यवाही के ब्यौरे

(निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाना है)

श्री/श्रीमती/कुमारी जिसने प्ररूप 7 में निर्वाचक नामावली में श्री/ श्रीमती/ कुमारी के नाम को * सम्मिलित किए जाने / * हटाये जाने का आक्षेप करने का आवेदन * स्वीकार कर लिया गया है / *नामंजूर कर दिया गया है।

स्वीकार करने [नियम 18/20*/26*(4)£ के अधीन या उसके अनुसरण में] या * नामंजूर करने [नियम 17*/20*/26*(4) के अधीन या उसके अनुसरण में] के लिए विस्तृत कारण :

स्थान : निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर
के हस्ताक्षर

(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की मुहर)

तारीख :

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

£ निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसे लगातार अद्यतन बनाए रखने के दौरान।